न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **25 / 2023**

प्रार्थीगण :–

1. भीयाराम वगैरा पुत्र बख्ताराम जाति जाट
2. केहराराम पुत्र बख्ताराम
3. प्रहलादराम पुत्र बख्ताराम
4. डाउराम पुत्र बख्ताराम जाति जाट,निवासी दूदवा मल्लीनाथ तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर।
5. जोगाराम पुत्र जसानाथ आसन के केता केसराराम जाति जाट, निवासी खारावाला पोकरासर नेतराड, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. रतनाराम पुत्र आईदानराम
2. राउराम पुत्र हरकाराम
3. गवरी पत्नी सोनाराम
4. पन्नाराम पुत्र सोनाराम
5. सत्ताराम पुत्र खूमाराम
6. गोपाराम पुत्र खूमाराम
7. कृपाराम पुत्र खूमाराम
8. हरीराम पुत्र खूमाराम

   विप्रार्थी संख्या 6 ता 8 नाबालिंग कुदरती वली माता नैनू पत्नी खुमाराम

9. नैनू बेवा खूमाराम
10. चुनी पत्नी नैनाराम
11. रेखाराम पुत्र नैनाराम
12. थानाराम पुत्र गुलाराम
13. अर्जुन पुत्र गुलाराम
14. भींयाराम पुत्र गुलाराम
15. दैदाराम पुत्र गुलाराम
16. वेहनाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी [illegible]

    16 / 1. उदाराम पुत्र वेहनाराम

    16 / 2. खेताराम पुत्र वेहनाराम जाति जाट निवासी दूदवा मल्लीनाथ तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।

17. वालाराम पुत्र रूगाराम
18. नलाराम पुत्र सिमरथाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:13 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

19. अचली पत्नी नवलाराम

20. चन्द्र प्रकाश पुत्र नवालाराम,

21. जगदीश पुत्र नवलाराम

22. लाली पत्नी गैनाराम

23. गोमाराम पुत्र मुकनाराम जातियान जाट, निवासीयान दूदवा मल्लीनाथ तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर।

24. खेतसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी दूदवा मल्लीनाथ, तह. पचपदरा जिला बाडमेर ।

25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारजी पचपदरा तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत्

उपस्थित :–

1. श्री रूगाराम कडवासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण,
2. श्री वीराराम प्रजापत विप्रार्थी संख्या 1,2,4,5,9,11,13,16/1, 16/2, 17,18, 19, 23, 24
3. विप्रार्थी संख्या –3, 10, 12, 14, 15, 20 ता 22 एकपक्षीय

दिनांक :– 07.07.2023

'आदेश'

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा दूदवा मल्लीनाथ, पटवार क्षेत्र दूदवा, भू.अभि. नि. क्षेत्र दूदवा, तह. पचपदरा मे खसरा संख्या 417/102 क्षेत्रफल 0.9551 हेक्टयेर (रकबा 5 बीघा 18 विस्वा) व खसरा संख्या 349/102 क्षेत्रफल 3.5774 हेक्टेयर (रकबा 22 बीघा 02 विस्वा) व खसरा संख्या 443/102 कुल रकबा 29 बीघा मे अवस्थित है । प्रार्थीगण का मूल खसरा संख्या 102 मौजा दूदवा मल्लीनाथ मे आया हुआ । उक्त खेत मे प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के आपसी [illegible] बटवारा का वाद संख्या 46/1978 था। उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 08.04.80 [illegible] किया गया, जिसमें उक्त खसरा के मूल खसरा संख्या 102 के बटटा नंबर दर्ज किये गये । जिसमें प्रार्थीगण के नये बटटा खसरा सख्या 417/102, 39/102 व 443/102 राजस्व रेकर्ड मे पारिवारिक बंटवाडा के हिसाब से दर्ज किये गये । उक्त भूमि कुल रकबा 29 बीघा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:13 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

थी व शेष रकबा विप्रार्थीगण का था जिसमे विप्रार्थी संख्या 01 का खसरा नंबर 416 / 102, विप्रार्थी संख्या 2 का खसरा संख्या 418 / 102 है जो उक्त दोनो खसरान प्रार्थीगण के पडौस मे आये हुए है एवं संपूर्ण मूल खसरा संख्या 102 के पारिवारिक बंटवाडा हो जाने से अलग अलग बटटा नंबर राजस्व रेकर्ड मे तरमीम किये गये मगर उक्त तरमीम प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण मौके पर काबिज अनुसार तरमीम दर्ज नहीं की गई जिससे वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड में ऑन तरमीम दर्ज होने पर प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड मे तरमीम नहीं है जिससे मौके पर भारी विवाद हो गया। जिससे प्रार्थीगण द्वारा मौके पर काबिज ऑन लाईन नक्शा निकाला गया जिससे प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ कि खसरा संख्या 102 के बीचो बीच मे स्टेट हाईवे मुख्य सडक निकाली हुई। उक्त रोड निकलने की वजह से सही तरमीम दर्ज नहीं की गई एवं उक्त तरमीम गलत होने से मौके पर हर रोज खातेदारो के आपस मे विवाद उत्पन्न हो गया है। जिससे उक्त विवाद को समाप्त करने के लिए पूर्व मे की गई तरमीम को निरस्त करवाकर मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड मे तरमीम दर्ज करने की आदेश करवाने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 23, 24 की और से जरिये वकील वकालतन उपस्थित की और से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त आराजी के मूल खसरा सख्या 102 मे प्रार्थीगण के खसरा संख्या 417 / 102 व खसरा संख्या 349 / 102 व 443 / 102 कुल रकबा 29 बीघा व विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 416 / 102, 418 / 102, 350 / 102, 444 / 102, 445 / 102, 348 / 102, 347 / 102 व मूल खसरा संख्या 102 अर्थात रास्ता / सडक से की गई तरमीम को निरस्त करवाकर व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मौके पर काबिज की रिपोर्ट पुनः न्यायालय मे मंगवाकर पूर्व मे की गई तरमीम को राजस्व रेकर्ड मे निरस्त करवाकर मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड मे तरमीम दर्ज करने की आदेश कराये जाते है तो हम उत्तरदाता को कोई आपतित नहीं है। विप्रार्थी संख्या 3,10,12,14,15,20 ता 22 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचना बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

तहसीलदार पचपदरा को मौके रिपोर्ट प्रस्तुत हेतु पत्र जारी किया गया । जिसकी पालना में तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांक भू.अ/2003/68 दिनांक 14.6.2023 को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई । पालना रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 26.4.2023 अनुसार तथ्य अंकित किये गये कि ग्राम दूधवा मल्लीनाथ के मूल खसरा संख्या 102 खातेदारो की उपस्थिती मे मौका निरीक्षण किया गया। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के अनुसार का विभाजन न्यायालय मे वाद कंमाक 46/1978 निर्णय दिनांक 8.4.1980 द्वारा हुआ था। इसमे प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण के तीन हिस्से किये गये । इसके बाद प्रशासन गांवे के संग अभियान 2013 व 2015 मे इन तीनों हिस्सो मे पुनः विभाजन हुआ था जिसका इन्द्राज वर्तमान रेकर्ड मे है । वर्तमान में ग्राम दूदवा मल्लीनाथ मूल खसरा संख्या 102 मे प्रार्थीगण के खसरा संख्या 417/102, 349/102, 443/102 कुल रकबा 29 बीघा व विप्रार्थीगण ख.स. 416/102, 418/102, 350/102, 444/102, 445/102, 348/102, 347/102 तथा सडक ख.स. 346/102 की तरमीम लट्ठा ट्रेस मे की हुई है जो संलग्न प्रतिशिष्ट "अ" मे दर्ज की गई है । मौका अनुसार प्रार्थीगण के ख.स. 417/102 मे 9.11 बीघा पर कब्जा है जबकि जमाबंदी में ख.स. 417/102 रकबा 5.18 बीघा दर्ज है। ख.स 349/102 में 18–09 बीघा पर कब्जा है जबकि जमाबंदी में ख.स. 349/102 रकबा 22.02 बीघा दर्ज है। प्रार्थीगण कब्जा अनुसार जमाबंदी एवं नक्शा मे रेकर्ड दुरूस्ती करवाना चाहता है। विप्रार्थीगण के भी मौका अनुसार लट्ठा ट्रेस मे तरमीम दर्ज नही है । मूल ख.स. 102 की प्रस्तावित तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ट "ब" अनुसार प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की सहमति से तैयार की गई। प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट "ब" के अनुसार प्रार्थीगण ख.स. 417/102, 349/102 मे रकबा परिवर्तन हुआ है। शेष खसरा संख्या मे कोई रकबा परिवर्तन नहीं है । मौका फर्द मौके पर ही तैयार कर सभी के हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान करवाये गये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:13 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना । प्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि मौजा दूदवा मल्लीनाथ, पटवार क्षेत्र दूदवा, भू.अभि. नि. क्षेत्र दूदवा, तह. पचपदरा मे खसरा संख्या 417 / 102 क्षेत्रफल 0.9551 हेक्टयेर (रकबा 5 बीघा 18 विस्वा) व खसरा संख्या 349 / 102 क्षेत्रफल 3.5774 हेक्टेयर (रकबा 22 बीघा 02 विस्वा) व खसरा संख्या 443 / 102 कुल रकबा 29 बीघा मे अवस्थित है । संपूर्ण मूल खसरा संख्या 102 के पारिवारिक बंटवाडा हो जाने से अलग अलग बटटा नंबर राजस्व रेकर्ड मे तरमीम किये गये मगर उक्त तरमीम प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण मौके पर काबिज अनुसार तरमीम दर्ज नहीं की गई है । अतः राजस्व रेकर्ड मे दर्ज तरमीम को निरस्त करवाकर मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड मे तरमीम दर्ज करने की आदेश करवाने का निवेदन किया गया । विप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 23, 24 की और से वकील ने अपनी बहस कथन किया कि उपरोक्त आराजी के मूल खसरा सख्या 102 मे प्रार्थीगण के खसरा संख्या 417 / 102 व खसरा स. 349 / 102 व 443 / 102 कुल रकबा 29 बीघा व विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 416 / 10,418 / 102, 350 / 102, 444 / 102, 445 / 102, 348 / 102, 347 / 102 व मूल खसरा संख्या 102 अर्थात् रास्ता / सडक मे की गई तरमीम को निरस्त करवाकर व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के रूबरू मौके पर काबिज की रिपोर्ट पुनः न्यायालय मे मंगवाकर पूर्व मे की गई तरमीम को राजस्व रेकर्ड मे निरस्त करवाकर मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड मे तरमीम दर्ज करने की आदेश कराये जाने का निवेदन किया गया

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना व पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । जिसमे [illegible] प्रार्थीगण के खसरा संख्या 417 / 102 व 349 / 102 मे रकबा परिवर्तन हो रहा है [illegible] संख्या मे कोई परिवर्तन नहीं है । उक्त वादग्रस्त आराजी का पूर्व मे विभाजन हो चुका है । विभाजन प्रस्ताव अनुसार यदि तरमीम नहीं की गयी है तो अशुद्व तरमीम को जरिये शुद्वि दुरूस्त करने का अधिकार रा0भू0राज0अधि0 की धारा 131–136 के तहत श्री न्यायालय को प्राप्त है । अलावा इसके प्रार्थी ने कथन किया है कि उसने अपने हिस्से की भूमि मे से 2 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:13 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

9 विस्वा , 1,0 विस्वासी भूमि का बेचान किया है । पूर्व मे हुएं प्रश्नगत खसरान के राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा, बटवांडा तरमीम को यथावत रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर भू.अ.निरीक्षक दूधवा को ग्राम मौजा दूदवा मल्लीनाथ, पटवार क्षेत्र दूदवा, भू.अभि. नि. क्षेत्र दूदवा, तह. पचपदरा मे खसरा संख्या 417/102 क्षेत्रफल 0.9551 हेक्टयेर (रकबा 5 बीघा 18 विस्वा) व खसरा संख्या 349/102 क्षेत्रफल 3.5774 हेक्टेयर (रकबा 22 बीघा 02 विस्वा) व खसरा संख्या 443/102 कुल रकबा 29 बीघा मे बंटवाडा यथावत रखकर उक्त भूमि मे हुए बेचान को मिलान कर सम्पूर्ण खातेदारी यथावत/बिना कमी किए नवीन तरमीम (डी. आई.एल.आर.एम.पी) को अपास्त कर आप स्वंय मौके पर जाकर जांच कर नवीन सिरे से दर्ज करने के आदेश दिए जाते है । खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 07.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:13 IST
Reason: SelfAttested